।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश कसेरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 7/2016

अपीलांट	बनाम	रेस्पोटेन्ट

श्रीमती लाछो पत्नी स्व. पदमाराम जाति जाट निवासी रातडिया तहसील भनियाणा जिला जैसलमेर		1. पेमाराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी रातडिया तहसील भनियाणा जिला जैसलमेर
		2. कुभाराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी रातडिया तहसील भनियाणा जिला जैसलमेर
		3. घमण्डाराम पुत्र खेमाराम के कायम मुकाम
		  1. खेताराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट
		  2. भैराराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट
		  3. देवाराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी रातडिया तहसील भनियाणा जिला जैसलमेर
		4. मेहराराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी रातडिया तहसील भनियाणा
		5. कस्तूराराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी रातडिया तहसील भनियाणा
		6. तहसीलदार, भनियाणा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरण संख्या 421 दिनांक 25.03.2001 जो नायब तहसीलदार, पोकरण द्वारा स्वीकार किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री चन्दनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री मदनसिंह सोढा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से
3. तहसीलदार,जैसलमेर पैरोकार राज रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक : 11—09—2018

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 424 रकबा 109.01 बीधा, खसरा नम्बर 449 रकबा 1.10 बीधा एवं ग्राम रातड़िया के खसरा नम्बर 298 रकबा 158 बीधा कुल रकबा 268.11 बीधा भूमि भगा, खेमा पिसरान तेजाराम जाट के नाम खातेदारी में दर्ज रही। भगाराम के फौत हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तरण द्वारा पेमाराम, कुंभाराम पिसरान भगाराम 1/2 व खेमाराम पुत्र तेजाराम 1/2 का इन्द्राज स्वीकृत किया गया। अपीलांट का कथन है कि भगाराम के 3 पुत्र पेमाराम,कुंभाराम व पदमाराम थे व पदमाराम का निधन हो चुका है जिसकी अपीलांट पत्नी है। अपीलांट ने स्व. भगाराम की भूमि में उसका समान हिस्सा होने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरण को चुनौती देकर उसे अपास्त करने का अनुरोध किया है। अपीलांट का कथन है कि उसे प्रश्नगत नामान्तरण की जानकारी दिनांक 26.8.2016 को हुई जिस पर दिनांक 15.9.2016 को यह अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब को क्षम्य करने के लिये धारा 5 समयावधि अधिनियम में प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 एवं 5 प्रश्नगत भूमि में संयुक्त खातेदार होने प्रतिवेदित किये जाकर उन्हें प्रोफार्मा पक्षकार बनाया गया है।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में भूमिधारक व प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण स्वीकृत किया गया को पक्षकार नही बनाया गया है जो एक आवश्यक पक्षकार होने से उसे रेस्पोडेन्ट के रूप में आदेश 1 नियम 10 (2) सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत पक्षकार संयोजित किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। समयावधि के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलांट का तर्क रहा कि अपीलांट अशिक्षित विधवा है व उसे प्रश्गनत नामान्तरण की जानकारी होने पर यह अपील लाई गई है जिसके लिये विलम्ब का शमन किया जाय। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा समयावधि को क्षम्य करने का विरोध नहीं किया तथा पैरोकार राज ने समयावधि के बिन्दु पर अपील पोषणीय नही होने का तर्क रखा। न्यायहित में अपील गुणावगुण के बिन्दु पर निर्णित करना उपयुक्त अनुभव करते हुए अपीलांट का धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है। गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलांट का तर्क रहा कि ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 338,339 व 448 रकबा क्रमशः 83 बीघा, 63.10 बीघा एवं 42.10 बीघा भूमि पेमाराम, कुंभाराम पिसरान भगाराम, लाछो पत्नी पदमाराम की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जैसा जमाबंदी संवत 2069–2072 से स्पष्ट है परन्तु ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 424, 449 रकबा क्रमशः 109–01 बीघा, 01–10 बीघा व ग्राम रातड़िया के खसरा नम्बर 298 रकबा 158–00 बीघा भूमि का 1/2 हिस्सा पेमाराम व कुंभाराम पिसरान भगाराम के नाम दर्ज किया गया है जिसे अपास्त कर पेमाराम, कुंभाराम व अपीलांट का संयुक्त हिस्सा 1/2 दर्ज कराया जाय। उनका आगे तर्क रहा कि ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 338, 339, 448 के कुल रकबा 189 बीघा भूमि किस्म बारानी–3 पेमाराम, कुंभाराम पिसरान भगाराम व भगाराम के मृतक पुत्र पदमाराम की पत्नी श्रीमती लाछो के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तो ग्राम रातड़िया के खसरा नम्बर 298 रकबा 158–00 बीघा एवं ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 424, 449 रकबा क्रमशः 109–01 बीघा, 01–10 बीघा कुल 268–11 बीघा भूमि जो मृतक भगाराम की अपने भाई खेताराम के साथ संयुक्त खातेदारी की रही, भगाराम की मृत्यु पर उक्त भूमि भी उसके पुत्रान पेमाराम, कुंभाराम के साथ मृतक पुत्र पदमाराम की पत्नी श्रीमती लाछो के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज की जानी थी जो नहीं की जाकर उक्त भूमि मृतक भगाराम के पुत्रान पेमाराम व कुंभाराम के नाम ही 1/2 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज की गई। उन्होने प्रश्नगत नामान्तकरण अपास्त कर प्रश्नगत भूमि जो ग्राम रातड़िया के खसरा नम्बर 298 रकबा 158–00 बीघा एवं ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 424, 449 रकबा क्रमशः 109–01 बीघा, 01–10 बीघा भूमि पेमाराम, कुंभाराम पिसरान भगाराम व श्रीमती लाछो पत्नी स्व. पदमाराम के नाम दर्ज करने का अनुतोष प्रदान करने का अनुरोध किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने संख्या 1 से 5 उक्त अनुतोष को स्वीकार करने में अपनी सहमति व्यक्त की। पेरोकार राज का तर्क रहा कि प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जाय।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। मृतक भगाराम की ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 338, 339 एवं 448 कुल रकबा 189 बीघा भूमि किस्म बारानी जब मृतक के पुत्रान पेमाराम व कुंभाराम व मृतक पुत्र पदमाराम की पत्नी श्रीमती लाछो के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना जमाबंदी संवत् 2069–2072 से प्रमाणित है तो प्रश्नगत भूमि ग्राम रातड़िया के खसरा नम्बर 298 रकबा 158–00 बीघा एवं ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 424, 449 रकबा क्रमशः 109–01 बीघा, 01–10 बीघा में मृतक भगाराम का 1/2 हिस्सा उसके पुत्रान पेमाराम व कुंभाराम के नाम दर्ज कर उसके तृतीय मृतक पुत्र पदमाराम की पत्नी श्रीमती लाछो का नाम उसमें दर्ज नहीं करना विधि सम्मत नहीं ठहरता। मृतक पदमाराम के उसकी पत्नी श्रीमती लाछो के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिस है तो श्रीमती लाछो के साथ उसका नाम भी श्रीमती लाछो के हिस्से में सम्मिलित करना वांछित ठहरता है। अभिलेखिय साक्ष्य से प्रश्नगत नामान्तकरण की भूमि वर्तमान में ग्राम रातड़िया के खसरा नम्बर 298 रकबा 158–00 बीघा एवं नवसृजित ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 424, 449 रकबा क्रमशः 109–01 बीघा, 01–10 बीघा में स्थित है।

उक्त विवेचन एवं परिशीलन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 421 दिनांक 25.03.2001 ग्राम रातड़िया अपास्त किया जाकर तहसीलदार, भनियाणा को निर्दिष्ट किया जाता है वे मृतक पदमाराम पुत्र भगाराम निवासी रातड़िया के विधिक वारिसान के संबंध में जांच कर अपीलान्ट श्रीमती लाछो पत्नी पदमाराम के साथ अन्य विधिक वारिसान का नाम भी उनके हिस्सानुसार ग्राम रातड़िया के खसरा नम्बर 298 व ग्राम बागथल के खसरा नम्बर 424, व 449 की भूमि में उनकी खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही करे। उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर